

## कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/३१५४/स्था०अनु०-१/स०वि०अ०,वर्ग-१ / ज्य०सूची-विकास-विपणन शाखा/ 2020-21/दिनांक 25% 2021

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,  
कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्रौक्त कृ०वि०कृ०वि०व्या०नि०/९८०/स्था०-१/१२-१३/दिनांक 19.10.2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2012 के प्राविधानानुसार कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कृषि विपणन सेवा समूह वर्ग-१ के पद पर नियुक्त कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है। जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक 51 पर श्री रूपेश कुमार मौर्य एवं ज्येष्ठता क्रमांक 106 पर श्री बीरेन्द्र कुमार का नाम अंकित है।

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र संख्या 27/29/2004-एस.आर.(एस.) आदेश संख्या 18/2005, दिनांक 20.04.2005 के द्वारा श्री रूपेश कुमार मौर्य एवं श्री वीरेन्द्र कुमार, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक वर्ग-१ को उत्तराखण्ड राज्य ऑवटन होने के क्रम में निदेशक कृषि विपणन उत्तर प्रदेश ने अपने क्रमशः आदेश पत्रौक्त कृ०वि०कृ०वि०व्या०नि०/९०४/उत्तराँचल/१२-१३/दिनांक 05.10.12 एवं पत्रौक्त कृ०वि०कृ०वि०व्या०नि०/९०८/उत्तराँचल/१२-१३/दिनांक 05.10.12 से उत्तराखण्ड राज्य हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया। तदक्रम में सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा दिनांक 26.11.2012 को कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में योगदान किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं विपणन अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या 481/XIII/2010-३(०८)/2006 दिनांक देहरादून 28 मई, 2010 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग-१, २ एवं वर्ग-३ (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोड़कर) के पदों का पुनर्गठन किया गया। विभाग में सिंगल विन्डो सिस्टम क्रियान्वित होने के फलस्वरूप कृषि विपणन के स्वीकृत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ के ०९ पर एवं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२ के स्वीकृत ०७ पदों को भी कृषि विकास शाखा (अराजपत्रित) में सम्मिलित किया गया है।

सम्बन्धित कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति कृषि विपणन अनुभाग, पोषक संवर्ग में हुयी है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कृषि सेवा विपणन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1992 एवं अधीनस्थ कृषि सेवा (अराजपत्रित) नियमावली 1993 पृथक-पृथक से प्रचलित है। अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 जो उत्तराँचल शासन अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2002 के द्वारा वर्तमान में प्रचलित है।

श्री रूपेश कुमार मौर्य एवं श्री वीरेन्द्र कुमार, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक वर्ग-१ को उत्तराखण्ड राज्य ऑवटन होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा दिनांक 26.11.2012 को कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में योगदान किया गया। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्रौक्त कृ०वि०कृ०वि०व्या०नि०/९८०/दिनांक 19.10.2012 के द्वारा प्रख्यापित कृषि विपणन सेवा समूह वर्ग-१ के अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची एवं अधीनस्थ कृषि सेवा विपणन नियमावली 1992 के आधार पर श्री रूपेश कुमार मौर्य, स०कृ०अ०वर्ग-१ एवं श्री बीरेन्द्र कुमार, स०कृ०अ०वर्ग-१ को कृषि विकास शाखा में कृषि विपणन अनुभाग की पृथक से ज्येष्ठता प्रदान कर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जा रही है। ज्येष्ठता निर्धारण उत्तराँचल शासन कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-195/कार्मिक-2002/देहरादून/दिनांक 13.08.2002 (संशोधनो सहित) के अनुसार किया गया है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को विभागीय बेबसाइट [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) पर भी प्रकाशित कर दिया गया है।

(क्रमशः-२)

(2)

अतः आप अपने अधीनस्थ सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 विकास शाखा, कृषि विपणन के सभी कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची का अनिवार्यतः अवलोकन कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो, तो वह अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन मय साक्ष्यों सहित 15 दिनों के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची का अवलोकन कराते हुये तद् सम्बन्ध में अनिवार्यत प्रमाण-पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सलंगन- अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।  
**२७**

पृष्ठांकन संख्या **३५८**/उक्त/तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि:-

निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2— संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
- 3— उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) कृषि निदेशालय देहरादून।

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

# कृषि विकास शाखा के अन्तर्गत कृषि विपणन वर्ग-1 (अराजपत्रित) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

(पत्रांक:- ३८५८ दिनांक २५/०९/२०२०)

क्र० सं	कर्मचारी का नाम	पिता / पति का नाम	जनपद	जाति	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	राजकीय सेवा में आने की तिथि	राजकीय सेवा में आने का मौलिक पद	वर्ग-2 में मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्ग-1 में मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यस्थल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	श्री रूपेश कुमार मार्य	श्री माताबदल फतेहपुर	पिछड़ी जाति	30.12.1970	कृषि स्नातकोत्तर	10.06.1996	सी०भ०वर्ग-१	-	10.06.1996	कृषि निदेशालय	
2	श्री बीरेन्द्र कुमार	श्री लक्ष्मी चन्द्र फतेहपुर	पिछड़ी जाति	01.10.1964	प्राइवेट	01.04.1991	सी०भ०वर्ग-२	01.04.1991	07.03.2009	मु०क०अ०देहरादून	

15/9/2020  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
(पटल सहायक वर्ग-1)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
कृषि निदेशालय  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय

16/9/20  
अपर कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

कृषिनिदेशक,  
उत्तराखण्ड।